कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, भदोही।

पत्रांक /जि0का0अधि0/चयन विज्ञप्ति/2026–27/दिनांक 20 जुलाई–2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1/1092245/2025/3318/58–1–2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद भदोही के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में सचांलित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त रह गये आंगनबाड़ी सहायिका के पदों को भरे जाने हेतु मानदेय/संविदा पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदिकाओं को निर्धारित समयावधि में https://upanganwadibharti.in पोर्टल पर दिनांक 21.07.2026 से आवेदन करना होगा।

आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0	परियाजना का नाम नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	आंगनबाड़ी सहायिका के कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण			
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1	अभोली	10	2	0	5	3
2	औराई	13	4	0	3	6
3	ज्ञानपुर	18	3	0	6	9
4	भदोही	29	7	0	6	16
5	सुरियावां	7	2	0	2	3
6	शहर	4	0	0	2	2
7	डीघ	6	2	0	2	2
योग		87	20	0	26	41

उपरोक्त रिक्त पदों का केन्द्रवार/ग्रामसभावार/वार्डवार/केन्द्र आरक्षण विवरण जनपद के विकास भवन/जिला कार्यक्रम कार्यालय/समस्त तहसील/नगर पालिका/नगर पंचायत/विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाईट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है जिसके अवलोकनोपरान्त इच्छुक आवेदिकाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश :–

1–विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।

2–आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश सं0–1/1092245/2025/3318/58–1–2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी। उपरोक्त शासनादेश को उ0प्र0 शासनादेश के अधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

3–आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु शासनादेशानुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक तक के प्राप्तांक/पूर्णांक के प्रतिशत के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। हाईस्कूल के अंकों को मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4–आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01.07.2026 को आधार मानकर की जायेगी तथा आयु के संबंध में हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म–तिथि ही मान्य होगी।

5–आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्रामसभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है, जहां के लिये वह आवेदन कर रही है।

6–सीधी भर्ती हेतु आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता –

(क) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, विधवा महिला के उपलब्ध न होने पर बी0पी0एल0 परित्यक्तता/विधिक तलाकशुदा जिसका भरण पोषण का वाद माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, विधवा परित्यक्तता के न मिलने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अन्य महिला।

(ख) विधवा एवं तलाकशुदा/अन्य बी0पी0एल0 की आवेदिका न मिलने पर 'क' में अंकित क्रम में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली आवेदिका चयन के लिए पात्र होंगी।

7–विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

8–आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी ही मान्य होगा जो डिजिटली हस्ताक्षरित हो, जिसका ऑनलाइन सत्यापन eDistrict UP पोर्टल पर किया जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

9—आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग—9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1—9—11—स0—9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।

10—आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही—सही तथा सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेंगी जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म पर किया गया है। किसी भी दशा में ऑफलाइन कोई भी प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदिका त्रुटिपूर्ण आवेदन करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगी। त्रुटिपूर्ण व अधूरे आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।

11—शासनादेश के अनुसार एक ही आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक परिवार की आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका चयन के लिये पात्र नहीं होंगी।

12—ऑनलाइन आवेदन दिनांक 21.07.2026 से दिनांक 20.08.2026 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

13—रिक्त पदों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय व जिला कार्यक्रम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः— रिक्तियों की संख्या घट—बढ़ सकती हैं। रिक्तियों एवं आरक्षण के संबंध में यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो चयन के संबंध में समाधान के उपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा तथा इस संबंध में विभाग का ही निर्णय मान्य होगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
भदोही।

पृ0 पत्र C-933 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

2—जिलाधिकारी महोदय, भदोही को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

3—मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष चयन समिति, जनपद भदोही।

4—समस्त सम्मानित सदस्य, चयन समिति, भदोही।

5—जिला सूचना अधिकारी, भदोही को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को दैनिक पढ़े जाने वाले एक राज्य स्तरीय/एक स्थानीय समाचार पत्र के आगामी अंक में जन सामान्य के सूचनार्थ न्यूनतम दर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

6—समस्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना/विज्ञप्ति को समस्त मुख्य कार्यालयों/बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

7—कार्यालय प्रति।

20/07/26
जिला कार्यक्रम अधिकारी
भदोही।

Scanned with OKEN Scanner